तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
२।३।२०	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहरा कर वाद वादीगण स्वीकार करने के कथन किये। वकील प्रतिवादी को वाद वादीगण स्वीकार करने में आपत्ती नहीं है। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया गया। दस्तावेज प्रदर्श २ सी. रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र २९.5.९८ ग्राम रीछड़िया की भूमि खसरा नम्बर ४३/११/३, ४४/१११/२ व ४५/४ किता 3 (कबा) २.१४ को सोनीबाई पुत्री नारायण खाती के द्वारा मथुरालाल, कालूलाल, प्रभुलाल पुत्र धूलीलाल व बापूबाई बेवा भवानीशंकर जाति सुतार (खाती) को बेचान की गई थी। दस्तावेज प्रदर्श-5 जरिये इं० नं० 475 दि० २6.6.९८ से उक्त विक्रय की गई भूमि क्रेतागण के नाम पर दर्ज की गई। बन्दोबस्त के दरम्यान दस्तावेज प्रदर्श-3 व प्रदर्श-4 साबिक खसरा नम्बर ४३, ४४ व ४५ के हाल खसरा नम्बर ४४, ४५ व ४६ पैमूद किये जाकर मथुरालाल, कालूलाल, प्रभुलाल पि० धूलीलाल 02/03/20	

व मु. धापूबाई धर्मपत्नी स्व. श्री भवानी शंकर के नाम दर्ज कर दी।

बन्दोबस्त विभाग द्वारा प्रदर्श-6 के अनुसार ही अंकन किया है। प्रकरण में धापूबाई के पति का नाम भवानीशंकर के स्थान पर भवानीलाल अंकित किया जो प्रदर्श-5 में जमाबन्दी में नामान्तकरण दर्ज करते समय रजिस्टर्ड वसीयतनामे के अनुसार भवानी शंकर दर्ज करना था किन्तु भवानीलाल दर्ज कर दिया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

तदुपरान्त जमाबन्दी तैयार करते समय त्रुटिपूर्वक हिस्से दर्ज करते हुये वादीगण प्रत्येक का 1/6 तथा प्रतिवादी नं. 1 का हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया गया जो त्रुटिपूर्ण है। उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा वादीगण तथा प्रतिवादी नं. 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि समान रूप से क्रय की गई थी यह तथ्य प्रदर्श 2A, प्रदर्श-5 प्रमाणित है।

प्रतिवादी नं. 1 को वाद वादीगण स्वीकार किये जाने में आपत्ति नहीं है।

अतः सहमति की हद तक गुणावगुण के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

02/03/20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः राजीनामा के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम शीदड़िया की भूमि खस० नं० ४४, ४५, ४६ किता 3 रकबा ०.३६ है० भूमि पर मथुरालाल 1/4, कालूलाल 1/4, प्रभुलाल 1/4 पि० छगनलाल जाति सुथार (खाती) व धापूबाई धर्मपत्नी स्व० श्री भवानीशंकर 1/4 के अनुसार दर्ज की जावे। रिकार्ड में अमल दरामद हो तदनुसार डिक्री मुरत्तिब हो। निर्णय आज दिनांक 2/3/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया। 02/03/20 (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	

Judl/Civil
Part IV-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे [redacted]

(आर्डर 20, रूल 6-7, ज.स्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

उपखण्ड अधिकारी ---मुकाम--- रामगंजमण्डी
चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

कालूलाल ---बनाम--- धापूबाई

दावा बाबत--- 88-89 = R.T. Act. 1955

मुकदमा नं.--- 168 ---सन्--- 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल करार्ई रू-ब-रू--- चिमनलाल मीणा (R.A.S.)

श्री शोभाराम अली एड. मिनजानिब मुद्दई व श्री परमानंद अली एड.

मिनजानिब मुद्दाअलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

बाद वादीगण स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम रीछड़िया की भूमि ख० नं० 44, 45, 46 किता 3 रकबा 0.36 हे० भूमि पर मथुरालाल 1/5, कालूलाल 1/5, प्रभूलाल 1/5 पि० धूलीलाल जाति सुथार (खाती) व धापूबाई धर्मपत्नी स्व. श्री भवानीशंकर हि. 1/5 जाति सुथार (खाती) के अनुसार दर्ज की जाकर रिकार्ड में अमल दरामद हो।

मुकदमे के खर्च सूद व मरहू--- ० ---फीसदी सालाना आज की तारीख

से यूनवसूली तक--- ० ---को अदा करे।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख--- 02 ---माह--- 03 ---2020

को दी गई।

दस्तखत--- (हस्ताक्षर) 02/3/20
ओहदा--- उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दाअलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प दरख्वास्त ..	2	–	स्टाम्प वकालतनामा ..	1	–
स्टाम्प वकालतनामा ..	1	–	स्टाम्प अर्जी ..		
स्टाम्प मुहर ..			महनताना वकील पर ..		
... वकील ..			अर्जी गवाहान ..		
गवाहान ..			फीस कमिश्नर ..		
कमिश्नर ..			बाबत इजराय हुक्मनामा ..		
इजराय हुक्मनामा ..			मुतफर्रिक ..		
..	21	–			
मीजान..	24	–	मीजान..	1	–

इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

...10-2004-1,00,000 फ.

(हस्ताक्षर) 02/03/20
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी